फाइल सं. 145-आईटीपीओ(1)/बीडीडी/2020

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

बिजनेस डेवलपमेंट डीवीज़न

14 फरवरी, 2022

परिपत्र सं. बीडीडी/01/2022

प्रगति मैदान में 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक तृतीय पक्ष आयोजकों द्वारा आयोजित होने वाले मेलों के लिए कोविड-19 महामारी के कारण रद्दीकरण/निरस्तीकरण, पुनर्योजन, लाईसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए प्रभार एवं क्षेत्र में कटौती से संबंधित रियायत नीति इस प्रकार से है -

1. **रियायत अवधि** - 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2022 के दौरान स्वीकृत/स्वीकृत होने वाले सभी मेलों पर यह रियायत नीति लागू होगी ।

2. **पुनर्योजन** - लीन (अप्रैल से अगस्त) तथा सेमी-पीक(मार्च, सितम्बर एवं अक्टूबर) रेंटल सीज़न के मेलों के लिए बिना किसी पुनर्योजन शुल्क के तीन बार पुनर्योजन करने की अनुमति होगी । यह 1 जनवरी, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान होने वाले अर्थात् नियत/पुनर्योजित/बुक्ड/बुक होने वाले मेलों पर लागू है । यह रियायत मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि आईटीपीओ को आयोजन की किराएदारी शुरू होने से 30 दिन पूर्व आवेदन प्राप्त हुआ हो, और यदि आयोजन 1 जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि में शिफ्ट होना हो । आईटीपीओ में आवेदन की समय सीमा की शर्त उस अवधि पर लागू नहीं होगी जिसमें डीडीएमए द्वारा व्यापार मेले/ प्रदर्शनियों के आयोजनों की अनुमति न हो, अर्थात् वर्तमान में 28 दिसंबर 2021 से 04 फरवरी 2022 ।

3. **रद्दीकरण/निरस्तीकरण**- 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान होने वाले स्वीकृत मेलों के रद्दीकरण पर, आईटीपीओ के पास निम्नलिखित दो विकल्प होंगे :

   (i) **अग्रिम प्रदत्त तथा जमा पत्र जारी करने का प्रबंध**- आईटीपीओ के पास अग्रिम में से, 100% रद्दीकरण शुल्क के सम जमा पत्र को वित्तीय वर्ष 2021-22(जनवरी से मार्च 2022) और 2022-23(अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के दौरान उनकी भविष्य में होने वाली बुकिंग/समायोजन के लिए जारी किया जाएगा ।
   यदि आयोजक ने एक्चुअल लागू 100% रद्दीकरण शुल्क के लिए अपेक्षित राशि से अधिक राशि जमा कर दी हो तो, लागू रद्दीकरण शुल्क को जमा पत्र में परिवर्तित कर अतिरेक राशि अनुरोध पर लौटाई जा सकेगी । [उदाहरण - यदि किसी आयोजक ने आईटीपीओ में 1000/- जमा किए हैं और एक्चुअल लागू 100% रद्दीकरण शुल्क 400/-रूपये है, इस स्थिति में, आईटीपीओ जमा पत्र के रूप में भविष्य के आयोजनों के लिए रद्दीकरण शुल्क के रूप में अपने पास 400/- रूपये रखेगा और बकाया 600/- रूपये टीपीओ को लौटा दिए जाएंगे, यदि मांगे जाते हैं तो, नहीं तो, यह राशि भविष्य में होने वाले आयोजनों के लिए आईटीपीओ के पास जमा रखेगी] ।

   (ii) **रद्दीकरण शुल्क और धन वापसी का प्रबंध** - यदि टीपीओ धन वापसी चाहता है तो(किसी राशि के लिए जमा पत्र नहीं), आईटीपीओ के पास जमा अग्रिम राशि एक्चुअल लागू रद्दीकरण शुल्क का 25% काट कर आयोजक को लौटाई जाएगी । [उदाहरण- यदि किसी आयोजक ने आईटीपीओ में 1000/- जमा किए हैं और एक्चुअल लागू 100% रद्दीकरण शुल्क 400/-रूपये है, इस स्थिति में आईटीपीओ 400/- रुपए के एक्चुअल लागू रद्दीकरण शुल्क का 25% काटेगा अर्थात् 100 /- रूपये और बकाया 900/- रूपये आयोजक को लौटा दिए जायेंगे (अर्थात् आयोजक को एक्चुअल रद्दीकरण शुल्क पर 75% की छूट मिलेगी)]।

उपर्युक्त पैरा 3(i) और 3(ii) में वर्णित इस बात बार निर्भर करेगा कि आईटीपीओ को आयोजन की किराएदारी शुरू होने से 30 दिन पूर्व आवेदन प्राप्त हुआ हो, अन्यथा, कोविड 19 से पूर्व की मौजूदा शुल्क वसूली की विद्यमान नीति लागू होगी । आईटीपीओ में आवेदन की समय सीमा की शर्त उस अवधि पर लागू नहीं होगी जिसमें डीडीएमए द्वारा व्यापार मेले/ प्रदर्शनियों के आयोजनों की अनुमति न हो, अर्थात् वर्तमान में 28 दिसंबर 2021 से 04 फरवरी 2022 ।

4. **छूट:** वर्तमान नीति परिपत्र के जारी होने की तिथि से और **31 अक्टूबर 2022** तक की अवधि के दौरान सभी स्वीकृत/स्वीकृत होने वाले तृतीय पक्ष आयोजन के लिए प्रकाशित/ अनुमोदित किराए पर 10 % की छूट होगी ।

5. **पुनर्योजित मेले:**

(i) मेले जो पीक सीज़न (जनवरी से फरवरी 2022) में अपनी स्वीकृत बुकिंग से लीन या सेमी-पीक सीज़न में पुनर्योजित किए जाएंगे, वह किसी भी छूट के पात्र नहीं होंगें । जिस सीज़न में पुनर्योजन हो रहा है, उस सीज़न का प्रकाशित गैर-छूट प्राप्त किराया लागू होगा ।

(ii) जो मेले मार्च से अक्टूबर, 2022 तक उस अवधि के लिए अपनी स्वीकृत बुकिंग से उसी व्यावसायिक अवधि (अर्थात् लीन से लीन और सेमी-पीक से सेमी-पीक) के भीतर ही पुनर्योजित किए जाएंगें, वह 10% छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(iii) वह मेले जो अप्रैल से अक्टूबर 2022, के दौरान की अवधि में अपनी स्वीकृत बुकिंग से लीन सीज़न से सेमी-लीन सीज़न में पुनर्योजित किए जाएंगे, उन पर सेमी-पीक किराए पर 10% की छूट के साथ सेमी-पीक किराया लागू होगा । समानतः, सेमी-पीक सीज़न से पीक सीज़न में परिवर्तित करने पर 10% की छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(iv) वह मेले जो मार्च से अक्टूबर 2022, की अवधि के दौरान अपनी स्वीकृत बुकिंग से सेमी-पीक से लीन सीज़न में पुनर्योजित किए जाएंगे, उन पर लीन सीज़न किराए पर बिना 10% की छूट के लीन सीज़न का किराया लागू होगा ।

6. उन आयोजकों के लिए जिन्होंने आवंटन पत्र में दी गई भुगतान सारणी के अनुसार, अपनी बुकिंग के लिए आईटीपीओ को देय राशि का कम से कम 50% भुगतान किया है, 28 दिसंबर 2021 (बी2बी आयोजनों पर डीडीएमए प्रतिबंध आदेश) की अवधि के दौरान होने वाले **आयोजनों के लिए लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान** के लिए कोई **शुल्क** नहीं लगाया जाएगा, जब तक डीडीएमए (अर्थात वर्तमान में, 04 फरवरी, 2022) द्वारा मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती या किरायेदारी शुरू होने से 15 दिन पहले तक, जो भी पहले हो। यह 31 अक्टूबर, 2022 तक की अवधि के दौरान सभी स्वीकृत आयोजनों, बुक किए गए/बुक किए जाने वाले और पुन: शेड्यूल किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए लागू होगा, बशर्ते कि डीडीएमए (अर्थात वर्तमान में 05 मार्च, 2022) द्वारा प्रतिबंधों को वापस लेने के 30 दिनों के भीतर देय राशि का भुगतान किया जाए, अन्यथा, पूरी अवधि के लिए विलंबित भुगतान शुल्क प्रत्येक आयोजन की उनकी भुगतान सारणी के अनुसार लिया जाएगा।

7. इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष 2022 (अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2022) की अवधि के लिए सभी स्वीकृत आयोजनों, बुक/बुक किए जाने वाले और पुन: शेड्यूल किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान के शुल्क को 3% प्रति माह से घटाकर 2% प्रति माह कर दिया गया है।

8. (i) **क्षेत्र में कमी** पर, आईटीपीओ वित्तीय वर्ष 2021-22 (जनवरी से मार्च, 2022) और वित्तीय वर्ष 2022-23 (31 अक्टूबर, 2022 तक, यानी कार्यक्रम की तारीख) के दौरान निर्धारित/पुनर्निर्धारित होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा, बशर्ते किरायेदारी की शुरुआत से 30 दिन पहले आईटीपीओ में अनुरोध प्राप्त हो, अन्यथा, शुल्क लगाने की प्रचलित नीति जैसा कि कोविड 19 महामारी से पहले अस्तित्व में थी लागू होगी। [उदाहरण: यदि आयोजक ने 2,3,4 और 5 के लिए हॉल बुक किया है और यदि आयोजक पूरे हॉल को सरेंडर करना चाहता है, जैसे कि हॉल नंबर 2,3 और 4 को और हॉल नंबर 5 में ही प्रदर्शनी आयोजित करता है, उस स्थिति में शुल्क में कटौती लागू नहीं होगी]।

(ii) उपर्युक्त 8(i) के अतिरिक्त, 31 अक्टूबर, 2022 (अर्थात आयोजन की तिथि 31 अक्टूबर, 2022 तक होनी चाहिए) तक के कार्यक्रमों के आयोजकों को भी हॉल क्षेत्र के 50% तक सरेंडर करने की अनुमति दी जाएगी, किंतु वे पूर्ण हॉल क्षेत्र पर गणना की गई सेवाओं (जैसे एयर कंडीशनिंग, ब्लोअर, पानी, स्टैंड लाइटिंग, आदि) के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। [उदाहरण: यदि आयोजक ने हॉल नंबर 2,3,4 और 5 बुक किया है और आयोजक किसी भी हॉल में आंशिक क्षेत्र को 50% तक सरेंडर करना चाहता है, तो आयोजक को पूर्ण हॉल (ओं) क्षेत्र पर गणना सेवाओं के शुल्क का भुगतान करना होगा]।

9. उपरोक्त नीति की घोषणा से पहले 01 जनवरी, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक निर्धारित अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए आईटीपीओ में पहले से प्राप्त सभी अनुरोध भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे (ऐसे कार्यक्रम/मामले जो पहले ही तय हो चुके हैं, इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे)।

10. कोविड राहत नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह नीति 01 जनवरी 2022 से मार्च 31, 2022 तक आयोजित होने वाले पहले से ही स्वीकृत कार्यक्रमों के संदर्भ में अन्य पक्ष आयोजकों को कोविड रियायत देने से संबंधित दिनांक 13 अगस्त 2021 के पूर्व परिपत्र का स्थान लेगी।

11. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बी.के. दुबे
महाप्रबंधक(बी.डी.डी) 11/3

प्रति :

1. सभी अन्य पक्ष आयोजक
2. आईटीपीओ के सभी विभागाध्यक्ष
3. सभी अधिकारी/बीडीडी के अधिकारी
4. वित्त विभाग (राजस्व अनुभाग)

सूचना के लिए प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निजी सचिव
2. कार्यकारी निदेशक के निजी सचिव